बलवंत सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

(2006 की आपराधिक अपील संख्या 621)

6 फ़रवरी, 2008

[पीपी नाओलेकर और मार्कंडेय काटजू, जेजे.]

दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 302 और 34 - अभियुक्त घातक हथियारों से लैस होकर घातक चोटें पहुँचाते हैं - निचली अदालतों द्वारा दो गवाहों की गवाही के आधार पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धि को सही माना गया: दो गवाहों की गवाही एक-दूसरे की पुष्टि करती है - हालांकि गवाहों में से एक ने मृतक की घातक चोटें नहीं देखीं, लेकिन मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत हैं कि वे आरोपी द्वारा कारित की गई - आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर मृतक के घर गए थे, जो उनके घातक इरादों को दर्शाता है - इससे भी अधिक, विशेष आरोपी के लिए विशेष चोट का जिम्मेदार नहीं होना, तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि तथ्यों पर धारा 34 आकर्षित है - इसलिए, दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

अभियोजन पक्ष का मामला है कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 बहनें हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीडब्लू 1, उसके बेटे पीडब्लू 3 और उसके बेटे केएस के साथ एक गाँव में गए जहाँ पीडब्लू 3 का घर था। जब वे वहां पहुंचे, तो आरोपी व्यक्ति- बीएस, एचएस, एमएस और बीएल घातक हथियारों के साथ पीडब्लू 3 के घर के पास मौजूद थे। पीडब्लू 1, उसका बेटा और केएस घर में ही रह गए जबकि पीडब्लू 3 अपने बेटे और भतीजे के साथ सब्जियां खरीदने के लिए बाहर गए। इसी बीच आरोपियों ने घातक हथियार से केएस को जख्मी कर दिया। एचएस ने केएस के सिर और माथे पर चोट

पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। बीएस ने केएस के दाहिने कान पर चोट पहुंचाई, जबकि एमएस ने दाहिने गाल और केएस के कान पर चोट पहुंचाई। जब पीडब्लू 1 ने केएस को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया तो उसे भी चोटें आईं। जब पीडब्लू 3 और अन्य लोग घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि केएस जमीन पर पड़ा हुआ था और बीएल और एमएस केएस को गंडासा मार रहे थे। इसके बाद सभी आरोपियों ने केएस के लात घूसों से जोरदार प्रहार भी किया। मकसद केएस की हत्या करके पीडब्लू3 की संपत्ति हड़पना था। पीडब्लू3 और अन्य लोगों ने शोर मचाया। इसकी भनक लगते ही आरोपी भाग गये। केएस ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पीडब्लू 1 ने एफआईआर दर्ज की। जांच की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने खुलासा बयान दिया और हथियार बरामद किये गये। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने आदेश बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील पेश की।

अपीलकर्ता-अभियुक्तों ने तर्क दिया कि पीडब्लू 1 जिसने एफआईआर दर्ज की थी, वह मुकर गयी और पीडब्लू2-पीडब्लू 1 का बेटा है वह भी मुकर गया, और इस तरह केवल पीडब्लू3 और पीडब्लू8-मृतक की मां और बहन की गवाही बाकी थी, पीडब्लू 3 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुख्य घटना नहीं देखी जिसमें घातक चोटें लगी थीं, और यह स्पष्ट नहीं है कि किस आरोपी ने कौन सी विशेष चोट पहुंचाई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि :-

1.1 पीडब्लू-3 और पीडब्लू-8 मृतक की मां और बहन की गवाही को पढ़ने के बाद, इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब से वे मोटे तौर पर एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं। पीडब्लू 3 के साक्ष्य की पुष्टि डॉक्टर और पीडब्लू 3 की बेटी पीडब्लू8 की साक्ष्य से हुई है और उनके साक्ष्य पर भी अविश्वास करने का कोई कारण

नहीं है। पीडब्लू8 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने आरोपियों को कृपाण और गंडासा से लैस होकर अपने पिता के घर की ओर जाते देखा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी हथियारों से लैस होकर घर की ओर जानलेवा इरादे से जा रहे थे। पीडब्लू-8 ने यह भी कहा कि जब वे 30 से 45 मिनट के बाद वापस आए तो वे उन्हीं हथियारों से लैस थे जिन पर खून के धब्बे थे और कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे जिन्हें बाद में उन्होंने बदल दिया और भाग गए। पीडब्लू-8 का यह साक्ष्य पीडब्लू 3 के साक्ष्य की पुष्टि करता है हालांकि यह सच है कि उसने मुख्य घटना नहीं देखी जिसमें घातक चोटें लगी थीं। [पैरा 9 और 12] [502-ई, एफ; 504-जी, एच; 505-ए, बी]

1.2 पीडब्लू 3 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुख्य घटना नहीं देखी जिसमें घातक चोटें लगी थीं। इन घातक चोटों का जिक्र पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही में भी है, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि केएस के सिर पर तीन चोटें लगी हैं, ऐसा हो सकता है कि जब केएस को ये चोटें पहुंचाई गईं तो पीडब्लू 3 मौजूद नहीं थी, लेकिन इस बात के पुख्ता परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि ये चोटें आरोपियों द्वारा पहुंचाई गई थीं। उसमें उल्लिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि इसमें श्रृंखला की सभी कड़ियाँ शामिल हैं जो आरोपी को घटना से जोड़ती हैं। [पैरा 10 और 11] [503-डी; 504-ए, बी, सी]

1.3 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस आरोपी ने कौन सी विशेष चोट पहुंचाई क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 स्पष्ट रूप से मामले के तथ्यों से आकर्षित होती है। जब लोग घातक हथियारों से लैस होकर एक साथ जाते हैं और मृतक को घातक चोटें आती हैं, तो वे सभी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के मद्देनजर समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। [पैरा 13] [505-सी, डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 621/ 2006।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 636-डीबी में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 4.5.2005 से।

अपीलकर्ताओं के लिए केबी सिन्हा, कवलजीत कोचर, श्वेता रानी और कुसुम चौधरी।

प्रत्युत्तरदाता की ओर से कुलदीप सिंह और आरके पांडे।

न्यायालय का फैसला मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील 2002 की आपराधिक अपील संख्या 636-डीबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 4.5.2005 के आक्षेपित फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3. अपीलकर्ता बलवंत सिंह और उनके तीन बेटे बलविंदर सिंह, हरबंस सिंह और मलकियत सिंह हैं। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बठिंडा द्वारा 30.7.2002 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था । उस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया और इसलिए यह अपील दायर की गई।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 17.7.1998 को लगभग 10/10-30 बजे, भारपुर कौर (पीडब्ल्यू 1) पत्नी जरनैल सिंह निवासी गांव खोखर, पुलिस स्टेशन कालावाली अपने बेटों वकील सिंह, गुरजंत सिंह और नछत्तर के साथ अपनी बहन की बेटी अमरजीत कौर (पीडब्लू-3) से मिलने के लिए बठिंडा के गिल पट्टी गांव गए, जो उस समय गली नंबर 6, जनता नगर, बठिंडा में रहती थी। वहां से अमरजीत कौर और उसके बेटे कुलदीप सिंह उर्फ गुरतेज सिंह के साथ वे गांव गिल पत्ती में अमरजीत कौर के घर गए थे। जब वे अमरजीत कौर के घर के सामने जीप से उतरे, तो उन्होंने

अपीलकर्ताओं बलवंत सिंह और उनके बेटों हरबंस सिंह, मलकियत सिंह और बलविंदर सिंह को कृपाण और गंडासा से लैस वजीर के बेटे नाथा सिंह के घर की ड्योढ़ी में बैठे पाया। गुरजंत सिंह और नछत्तर सिंह के साथ अमरजीत कौर, दूध और सब्जी लाने के लिए घर से निकलीं, जबकि भारपुर कौर पीडब्ल्यू 1, मृतक कुलदीप सिंह और वकील सिंह घर में ही रह गए। इस बीच, बलवंत सिंह और उनके बेटे हरबंस सिंह तलवारों से लैस थे और मलकियत सिंह और बलविंदर सिंह गंडासों से लैस थे और नाथा सिंह खाली हाथ अमृत कौर के घर में घुस आए। नाथा सिंह ने कथित तौर पर एक ललकारा उठाया "इन्ना नू जग्गर सिंह नू कटाई करण अत्ते घर तो कब्ज़ा करण दा मजा चाखौंदे हां, अज्ज आहे बच के ना जां"। इस पर भारपुर कौर के बेटे कुलदीप सिंह और वकील सिंह ने खुद को बचाने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हरबंस सिंह ने कुलदीप सिंह के माथे के बायीं ओर और सिर पर कृपाण से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद बलवंत सिंह ने कृपाण से वार कर दिया, जिससे उसके दाहिने कान पर चोट लग गई। मलकियत सिंह ने कुलदीप सिंह के दाहिने गाल और कान पर उल्टी तरफ से गंडासा मारा। जब भारपुर कौर पीडब्ल्यू 1 ने कुलदीप सिंह को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो बलविंदर सिंह और मलकियत सिंह ने उल्टी तरफ से गंडासा मारा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बाईं कलाई के जोड़, बाएं घुटने के जोड़ और नाक पर चोटें आईं। वकील सिंह "ना मारो ना मारो" चिल्लाया, जिसके बाद मलकियत सिंह और बलविंदर सिंह ने जमीन पर लेटे हुए कुलदीप सिंह के शरीर पर दांयी और बायीं जांघ और घुटने के जोड़ के नीचे गंडासे से वार किया। इसी बीच, मृतक कुलदीप सिंह, गुरजंत सिंह और नछत्तर सिंह की मां अमरजीत कौर घटनास्थल पर लौट आईं और उन्होंने शोर भी मचाया, जिसे सुनकर हमलावर अपने-अपने हथियार लेकर मौके से भाग गए। चोटों के कारण कुलदीप सिंह की मौत हो गई।

5. भारपुर कौर पीडब्लू1 पुलिस स्टेशन के लिए आगे बढ़ी और रास्ते में पुलिस स्टेशन सदर, बठिंडा के एसआई चांद सिंह एसएचओ से मुलाकात की, जो एयरप्लेन चौक, बठिंडा पर मौजूद थे, जहां उन्होंने वाहनों की विशेष जांच के लिए एक नाका लगाया था और उसे कम कर दिया था। उसके बयान लिखित रूप में लिए। दिनांक 17.7.1998 को दोपहर 12.30 बजे जो बयान पूरा हुआ उसके आधार पर उसी दिन दोपहर 12.45 बजे पुलिस स्टेशन थर्मल बठिंडा में एक औपचारिक एफआईआर प्रदर्श पीए/2 दर्ज की गई। वह स्वयं उस स्थान पर गए जहां उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की और जांच के दौरान रिकवरी मेमो प्रदर्श पीआर द्वारा खून से सनी मिट्टी को अपने कब्जे में ले लिया, गवाहों के बयान दर्ज किए और अनुरोध के साथ शव को पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए कांस्टेबल जोगिंदर सिंह के माध्यम से सिविल अस्पताल, बठिंडा भेज दिया। दिनांक 18.7.1998 को उन्होंने मृतक के कपड़े अपने कब्जे में ले लिए, जो कांस्टेबल जोगिंदर सिंह ने उन्हें सौंप दिए।

6. दिनांक 21.7.1998 को उन्होंने बलवंत सिंह और मलकियत सिंह को गिरफ्तार किया, जिन्होंने खुलासा बयान दिया था, जिसके अनुसार कृपाण प्रदर्श पी 12 और गंडासा प्रदर्श पी 13 को रिकवरी मेमो प्रदर्श पीयू/2 और प्रदर्श पीयू/3 के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया था। हरबंस सिंह और बलविंदर सिंह को 22.7.1998 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने भी क्रमशः प्रदर्श पीयू/4 और प्रदर्श पीयू/5 का प्रकटीकरण बयान दिया था, जिसके अनुसार क्रमशः कृपाण प्रदर्श पी/14 और गंडासा प्रदर्श पी/15 को रिकवरी मेमो प्रदर्श पी 6 और पूर्व पीयू/7 क्रमशः के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया था। बलवंत सिंह और मलकीयत सिंह, अपीलकर्ताओं ने अलग-अलग प्रकटीकरण बयान पूर्व पीयू /16 और पूर्व पीयू/17 दिए, जिसके अनुसार उनकी शर्ट प्रदर्श पी/16 और प्रदर्श पी/17 जो खून से सने हुए थे, रिकवरी मेमो पूर्व पीयू /18 और पूर्व पीयू/19 के माध्यम से कब्जे में ले लिए गए। इन्हें जांच के लिए रासायनिक

परीक्षक के पास भेज दिया गया और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान पेश किया गया, जिन्होंने पाया कि खुलासा किए गए अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालयों द्वारा विचारणीय थे। इसे सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

7. विचाराधीन घटना 17.7.1998 को सुबह 10.30 बजे हुई और एफआईआर दोपहर 12.45 बजे दर्ज की गई। इसलिए एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्ल्यू 1 भारपुर कौर जिसने एफआईआर दर्ज की थी, वह अपने बयान से पलट गई, जैसा कि 28.2.2000 को अदालत में उसके बयान से स्पष्ट है। पीडब्ल्यू2 गुरजंत सिंह भी मुकर गया। इसलिए हमारे पास केवल पीडब्लू 3 अमरजीत कौर और पीडब्लू 8 सुखजीत कौर की गवाही बची है। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि क्या उनकी गवाही पर दोषसिद्धि सुरक्षित होगी।

9. हमने इन दोनों गवाहों की गवाही को ध्यान से पढ़ा है और हमें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता, खासकर जब से वे मोटे तौर पर एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं। अमरजीत कौर ने अपने साक्ष्य में कहा कि भारपुर कौर और उसका बेटा किराए की जीप में बठिंडा के जनता नगर स्थित उसके घर आए और वहां वह और उसका बेटा कुलदीप सिंह (मृतक) उनके साथ जीप में गए और वे गांव गिल पट्टी गए, जहां अमरजीत कौर का भी एक मकान है। जीप अमरजीत कौर के घर के पास खड़ी थी जहां उन्होंने सभी आरोपियों को नाथा सिंह की ड्योडी पर बैठे देखा। आरोपी बलवंत सिंह और हरबंस सिंह कृपाण से लैस थे और बलविंदर सिंह और मलकियत सिंह गंडासा से लैस थे। अमरजीत कौर, गुरजंत सिंह और नछत्तर सिंह सब्जी खरीदने के लिए बाहर गए, जबकि कुलदीप सिंह, भारपुर कौर और उसका बेटा वकील सिंह अमरजीत कौर के

घर में मौजूद रहे। सुबह 10 या 10.30 बजे जब अमरजीत कौर और दो अन्य लोग घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा कुलदीप सिंह जमीन पर पड़ा हुआ है। उनके अनुसार बलविंदर सिंह ने मृतक कुलदीप सिंह की टांग पर गंडासा मारा और मलकियत सिंह ने उसके पेट में कुंद हिस्से से गंडासा मारा। सभी आरोपियों ने उसके बेटे कुलदीप सिंह को लात-घूंसों से जोरदार प्रहार भी किया। घटना के पीछे अमरजीत कौर के बेटे की हत्या कर उसकी संपत्ति हड़पने की मंशा बताई जा रही है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि अमरजीत कौर के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने केवल बलविंदर सिंह को कुलदीप सिंह के पैर पर गंडासा मारते हुए और मलकियत सिंह को उसके पेट में कुंद हिस्से से गंडासा मारते हुए देखा था। इस साक्ष्य से अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह अनुमान लगाने की कोशिश की है कि अमरजीत कौर ने मुख्य घटना नहीं देखी थी जिसमें घातक चोटें लगी थीं। इन घातक चोटों का जिक्र पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही में भी है. डॉक्टर ने निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया:

1. सिर के अगले भाग पर 10 x 5 सेमी नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। मस्तिष्क के अन्दर विच्छेदन पर एकाधिक फ्रैक्चर मौजूद थे, हड्डी के टुकड़े मस्तिष्क के अन्दर मौजूद थे। हेमोटोमा सिर के अगले भाग पर मौजूद था।

2. मुंह का निचला हिस्सा(जबडा) का फ्रैक्चर।

3. दाहिने कान और सिर के पीछे 4 xm x 3 सेमी का कटा हुआ घाव। दाहिने कान का एक भाग नष्ट होना। विच्छेदन करने पर अंतर्निहित हड्डी टूटी हुई थी। हेमोटोमा मौजूद था।

4. दाहिने पैर के निचले हिस्से पर 4 सेमी x 2 सेमी का घाव। नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। जमा हुआ खून मौजूद। दाहिने पैर पर कई खरोंचें।

5. दाहिनी बांह पर कई खरोंचें।

6. नाभि के नीचे पेट के निचले हिस्से में 8 सेमी x 4 सेमी चोट।

7. बाईं कलाई के जोड़ पर 4 सेमी x 3 सेमी की चोट।

11. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कुलदीप सिंह के सिर पर तीन चोटें थीं, हो सकता है कि जब ये चोटें कुलदीप सिंह को लगीं तो अमरजीत कौर वहां मौजूद नहीं थीं, लेकिन हमारी राय में इस बात के पुख्ता परिस्थितिजन्य सबूत हैं कि ये चोटें आरोपियों ने पहुंचाई थीं। हमारी राय में यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है क्योंकि इसमें श्रृंखला की सभी कड़ियाँ शामिल हैं जो आरोपी को घटना से जोड़ती हैं। ये कडियां हैं:

(ए) आरोपी व्यक्ति अमरजीत कौर के घर के पास घातक हथियारों के साथ मौजूद थे। जब लोग घातक हथियारों से लैस होकर किसी के घर आते हैं, तो यह इस बात का संकेत देने वाली एक मजबूत परिस्थिति है कि वे घातक इरादों के साथ आए थे।

(बी) जब अमरजीत कौर और अन्य लोग सुबह 10 या 10.30 बजे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि बलविंदर सिंह उनके बेटे के दाहिने पैर पर गंडासे से वार कर रहा था और मलकियत सिंह उसके पेट में गंडासे के कुंद हिस्से से वार कर रहा था। जाहिर तौर पर ये वार कुलदीप सिंह के सिर पर घातक चोट लगने के बाद किए गए थे।

(सी) इसके बाद सभी आरोपियों ने जमीन पर पड़े हुए कुलदीप सिंह को जोरदार प्रहार के साथ लातों से भी मारा। जमीन पर पहले से पड़े एक घायल व्यक्ति को मारना और लात मारना आरोपी के घातक इरादे को दर्शाता है।

(डी) बताया जाता है कि घटना के समय मौके पर आरोपी के अलावा कोई और नहीं था।

12. अमरजीत कौर के साक्ष्य की पुष्टि डॉक्टर और पीडब्लू8 के साक्ष्य से की गई है और हमें उनके साक्ष्य पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पीडब्लू8 सुखजीत कौर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने आरोपियों को कृपाण और गंडासों से लैस होकर अपने पिता जग्गर सिंह (अमरजीत के मृत पति) के घर की ओर जाते देखा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी हथियारों से लैस होकर घर की ओर जानलेवा इरादे से जा रहे थे। सुखजीत कौर पीडब्लू8 ने यह भी कहा कि जब वे 30 से 45 मिनट के बाद वापस आए तो वे उन्हीं हथियारों से लैस थे जिन पर खून के धब्बे थे और कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे जिन्हें बाद में उन्होंने बदल दिया और भाग गए। सुखजीत कौर की यह साक्ष्य अमरजीत कौर के साक्ष्य की पुष्टि करती है, हालाँकि यह सच है कि दोनों में से किसी ने भी वह मुख्य घटना नहीं देखी जिसमें घातक चोटें लगी थीं। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस आरोपी ने कौन सी विशेष चोट पहुंचाई। हमारी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 स्पष्ट रूप से मामले के तथ्यों पर लागू होती है। जब लोग घातक हथियारों से लैस होकर एक साथ जाते हैं और मृतक को घातक

चोटें आती हैं, तो वे सभी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के मद्देनजर समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में कोई दम नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

एन.जे.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुभाष चन्द्र कोटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।